नईदुनिया

संपादकीय

थाली में जहर परोसने वाले सफल और सरकारी अमला नाकाम

देश में त्योहार आते ही मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई की खबरें सामने आने लगती हैं। रक्षाबंधन के बाद जन्माष्टमी, दशहरा और दीपावली आएंगे और फिर वही तस्वीर दिखाई देगी - मावा जब्त, पनीर नष्ट, घी में मिलावट पकड़ी गई। मध्यप्रदेश में 561 करोड़ रुपये का माल पकड़े जाने का दावा है तो महाराष्ट्र में 56 करोड़ का। दिल्ली से चेन्नई तक सिंथेटिक दूध, यूरिया वाला पनीर और मिलावटी घी की खबरें सामने आती रहती हैं। सवाल यह नहीं है कि मिलावट हो रही है, सवाल यह है कि यह जहर जनता की थाली तक पहुंच ही कैसे रहा है? यदि जहर बांटने वाले सफल हो रहे हैं तो सरकारी अमला क्या कर रहा है?

मिलावट अब केवल किसी छोटे दुकानदार का खेल नहीं रह गई है। यह एक संगठित नेटवर्क का रूप ले चुकी है। कहीं सिंथेटिक दूध के टैंकर तैयार होते हैं, कहीं नकली मावा और पनीर बनाया जाता है। फिर यह माल बसों, ट्रेनों और निजी वाहनों से दूसरे राज्यों और शहरों तक पहुंचता है। सीमाओं पर प्रभावी जांच और नाकों पर पर्याप्त खाद्य परीक्षण व्यवस्था नहीं होने का फायदा मिलावटखोर उठाते हैं। ग्वालियर में जब्त पनीर यदि बाहर से आया था तो यह साफ संकेत है कि समस्या केवल स्थानीय दुकानों तक सीमित नहीं है।

देश में खाद्य सुरक्षा की जिम्मेदारी भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण और राज्यों के खाद्य सुरक्षा विभागों की है। कानून है, लाइसेंस व्यवस्था है, नमूने लेने का अधिकार है और अदालतें भी हैं। इसके बावजूद मिलावट क्यों नहीं रुकती? सबसे बड़ी समस्या कार्रवाई का त्योहार-केंद्रित होना है। विभाग त्योहार से कुछ सप्ताह पहले सक्रिय होता है और फिर अभियान समाप्त होते ही व्यवस्था पुरानी गति पर लौट आती है। मिलावटखोर इस व्यवस्था को अच्छी तरह समझते हैं और पूरे साल माल तैयार कर त्योहारों में खपा देते हैं।

दूसरी समस्या छोटी मछली पर कार्रवाई और बड़ी मछली तक न पहुंचना है। हजारों नमूने लेने, नोटिस जारी करने और कुछ लाइसेंस निलंबित करने से यदि बड़े उत्पादन केंद्र सुरक्षित रहें तो ऐसी कार्रवाई का असर सीमित ही रहेगा। असली सवाल उन फैक्ट्रियों तक पहुंचने का है जहां बड़े पैमाने पर मिलावटी दूध, पनीर और मावा तैयार होता है।

परिवहन और पुलिस विभाग की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। यदि मिलावटी माल एक राज्य से दूसरे राज्य तक पहुंच रहा है तो रास्ते में उसकी जांच क्यों नहीं होती? स्थानीय प्रशासन और नगर निकायों को भी बिना लाइसेंस चलने वाली इकाइयों पर कार्रवाई करनी होगी। उपभोक्ता की जिम्मेदारी भी है कि वह अत्यधिक सस्ते उत्पादों के लालच से बचे, बिल ले और संदेह होने पर शिकायत करे।

महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर प्रतिष्ठानों की जांच और लाइसेंस निलंबन जैसी कार्रवाई बताती है कि इच्छाशक्ति हो तो व्यवस्था प्रभावी हो सकती है। मध्यप्रदेश सहित सभी राज्यों को भी त्योहारों तक सीमित अभियान के बजाय सालभर निगरानी की व्यवस्था बनानी होगी। सीमाओं पर मोबाइल खाद्य प्रयोगशालाएं, रात में जांच, बड़े खाद्य प्रतिष्ठानों की नियमित निगरानी और उत्पादन इकाइयों की जवाबदेही जरूरी है।

मिलावट केवल कानून तोड़ने का मामला नहीं है, यह लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ है। धीमा जहर तुरंत दिखाई नहीं देता, लेकिन लंबे समय में गंभीर स्वास्थ्य संकट पैदा कर सकता है। सरकार को आंकड़ों और जब्ती की संख्या से आगे बढ़कर यह सुनिश्चित करना होगा कि मिलावट की जड़ पर प्रहार हो। अफसरों की जवाबदेही तय हो और दोषियों को ऐसी सजा मिले कि थाली में जहर परोसने की हिम्मत कोई न करे। वरना हर त्योहार पर आंकड़े बदलेंगे, लेकिन जनता की थाली में जहर का खतरा बना रहेगा।

आजकल

रोजाना जाम का महाकुंभ, घंटों रेंगता ट्रैफिक, आखिर जिम्मेदार कौन

भोपाल में मानसून के फिर सक्रिय होने से तेज बारिश का दौर जारी है। बारिश और खराब यातायात प्रबंधन के कारण राजधानी में जनजीवन प्रभावित हो रहा है। सोमवार को भारत टॉकीज से रेलवे स्टेशन मार्ग पर घंटों जाम लगा रहा। जबलपुर, सागर, इंदौर और नागपुर की ओर से आने वाले वाहनों का दबाव, बदहाल सड़कें और बारिश मिलकर शहर को जाम के महाकुंभ में बदल देते हैं। तस्वीर में कारें, बसें, ऑटो और ट्रक एक साथ फंसे नजर आते हैं। लोग घंटों रेंगने को मजबूर हैं। सवाल यही है कि इसका जिम्मेदार कौन है - पुलिस, यातायात, जिला प्रशासन, परिवहन विभाग या आम आदमी?

ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी है कि बारिश में वैकल्पिक मार्ग बनाए और जाम वाले स्थानों पर जवान तैनात करे। लेकिन भारत टॉकीज-रेलवे स्टेशन जैसे व्यस्त मार्ग पर न तो प्रभावी डायवर्जन दिखा और न पर्याप्त यातायात व्यवस्था। सिग्नल बंद रहे और भारी वाहनों के प्रवेश पर भी प्रभावी नियंत्रण नहीं दिखा। शहर में भारी वाहनों के प्रवेश का समय तय होने के बावजूद यदि नियमों का पालन नहीं होता तो ट्रैफिक प्लान कागज तक ही सीमित रह जाता है।

दूसरी ओर, बारिश के बाद सड़कों पर गड्ढे और जलभराव व्यवस्था की पोल खोल रहे हैं। नालियों की सफाई और सड़कों की मरम्मत समय पर नहीं होने से समस्या और बढ़ गई है। भारत टॉकीज से स्टेशन मार्ग पर अतिक्रमण ने भी सड़क को संकरा कर दिया है। ऑटो और ई-रिक्शा के मनमाने संचालन तथा बसों के बीच सड़क पर सवारी उतारने से स्थिति और बिगड़ती है।

आम आदमी की भी कुछ जिम्मेदारी है। रॉन्ग साइड चलना, लेन न मानना और बारिश में तेज वाहन चलाना गलत है। लेकिन जब सड़क, सिग्नल और यातायात प्रबंधन ही दुरुस्त न हो तो सारी जिम्मेदारी जनता पर नहीं डाली जा सकती।

यह जाम केवल बारिश का नतीजा नहीं, बल्कि व्यवस्था की नाकामी है। पुलिस, जिला प्रशासन, नगर निगम और परिवहन विभाग को समन्वय के साथ स्थायी समाधान तलाशना होगा। जनता टैक्स सुविधा के लिए देती है, रोजाना जाम के महाकुंभ में फंसने के लिए नहीं।

क्या 2029 में ही बजेगा एक देश, एक चुनाव का बिगुल?

मध्यप्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में लोकसभा के साथ विधानसभा की ओर बढ़ते कदम

एजेंडा 370 और राम मंदिर के बाद अब सबसे बड़ा दांव

भारतीय जनता पार्टी ने जब से केंद्र में दूसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है, तब से उसके कोर एजेंडे एक के बाद एक पूरे होते जा रहे हैं। राम मंदिर निर्माण और जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने जैसे ऐतिहासिक फैसले धरातल पर उतर चुके हैं। अब पार्टी अपने बाकी तीन बड़े वादे - एक देश, एक चुनाव, महिला आरक्षण और समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को पूरा करने की दिशा में निर्णायक बढ़त लेने जा रही है। इसमें सबसे ज्यादा चर्चा एक देश, एक चुनाव की है।

संसद में लंबित संविधान संशोधन विधेयक पारित होने की स्थिति में सरकार की आधिकारिक योजना एक देश, एक चुनाव की व्यवस्था 2034 से लागू करने की है। लेकिन राजनीतिक गलियारों में चल रही हलचल कुछ और ही कहानी कह रही है। एनडीए नेतृत्व 2034 का इंतजार नहीं करना चाहता। वह चाहता है कि 2029 में ही इस व्यवस्था का ट्रेलर दिखा दिया जाए। इसके लिए सबसे उपयुक्त प्रयोगशाला हैं भाजपा और एनडीए शासित राज्य।

दिसंबर 2028 वाला पेंच और 2029 वाला हल-मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान - इन तीनों राज्यों की वर्तमान विधानसभाओं का कार्यकाल दिसंबर 2028 में खत्म हो रहा है। लोकसभा का कार्यकाल जून 2029 तक है। यानी दोनों के बीच केवल पांच से छह महीने का अंतर है। इसी अंतर को पाटकर एक देश, एक चुनाव की नींव रखी जा सकती है।

सरकार के सामने चुनौती यह है कि यदि दिसंबर 2028 में इन तीनों बड़े राज्यों में अलग से चुनाव करवाए जाते हैं तो फिर 2029 के लोकसभा चुनाव के सिर्फ पांच महीने पहले एक बड़ा चुनावी माहौल बनेगा। इससे सरकारी संसाधनों पर दोहरा बोझ पड़ेगा और बार-बार आचार संहिता से विकास कार्य ठप होंगे। इसलिए रणनीतिकारों ने तीन संभावनाओं पर काम शुरू कर दिया है।

पहली संभावना - मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की विधानसभाओं का कार्यकाल खत्म होने के बाद वहां चुनाव न कराकर तीन से चार महीने के लिए राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए और फिर मार्च-अप्रैल 2029 में लोकसभा के साथ ही इन तीनों राज्यों के विधानसभा चुनाव भी करवा दिए जाएं। इससे एक देश, एक चुनाव की परोक्ष शुरुआत 2029 से ही हो जाएगी और जनता को भी दो बार वोट डालने की परेशानी से मुक्ति मिलेगी।

दूसरी संभावना छह महीने में ही विधानसभा भंग करने की थोड़ी आक्रामक है। इसके तहत दिसंबर 2028 में तय समय पर तीनों राज्यों में चुनाव करा लिए जाएं, लेकिन नई सरकारों को केवल छह महीने के लिए ही जनादेश दिया जाए और फिर जून 2029 में उन्हें भंग कर लोकसभा के साथ दोबारा चुनाव करा लिए जाएं। यह प्रयोग पहले भी कुछ छोटे राज्यों में हो चुका है। हालांकि इससे छह महीने में दो बार चुनाव का खर्च बढ़ेगा, लेकिन दीर्घकालीन लक्ष्य के लिए यह कुर्बानी छोटी मानी जा रही है।

2033 वाला फार्मूला सबसे तकनीकी है। इसमें 2028 में चुनाव समय पर होते हैं। फिर 2033 में इन विधानसभाओं का कार्यकाल पांच साल पहले ही खत्म कर दिया जाता है और फिर एक साल तक राष्ट्रपति शासन लगाकर 2034 में लोकसभा के साथ चुनाव कराए जाते हैं। यह फार्मूला उन राज्यों के लिए ज्यादा उपयुक्त माना जा रहा है, जहां सरकारें स्थिर हैं और बार-बार चुनाव का बोझ नहीं उठाना चाहतीं।

कौन-कौन से राज्य आएंगे 2029 की लहर में=लोकसभा चुनाव 2029 के साथ चार राज्यों के चुनाव तो तय हैं। अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, सिक्किम और ओडिशा में लोकसभा के साथ ही विधानसभा चुनाव होने हैं।

इसके अलावा भाजपा शासित राज्यों में कार्यकाल घटा-बढ़ाकर चुनाव को 2029 के साथ लाने की तैयारी है। हरियाणा और महाराष्ट्र में छह माह पहले, दिल्ली में एक साल पहले, बिहार में डेढ़ साल पहले तथा पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में करीब दो साल पहले चुनाव कराने होंगे। एनडीए के सहयोगी दलों वाले राज्य जैसे त्रिपुरा, मेघालय, नगालैंड और मिजोरम में 2028 में चुनाव होने हैं। वहां भी राष्ट्रपति शासन या कार्यकाल विस्तार से 2029 के साथ समायोजन किया जा सकता है। 2027 में जिन राज्यों में चुनाव होने हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और गुजरात, वहां अगली सरकार के कार्यकाल पर फैसला निर्भर करेगा कि उसे 2029 तक खींचा जाए या 2034 तक।

विपक्ष शासित राज्यों का क्या होगा?-विपक्ष शासित राज्यों जैसे कर्नाटक, हिमाचल, तेलंगाना और तमिलनाडु का क्या होगा? सूत्रों का कहना है कि संविधान संशोधन में यह प्रावधान होगा कि यदि कोई राज्य विधानसभा तय समय से पहले भंग होती है तो उसका अगला कार्यकाल केवल बचे हुए समय के लिए होगा, ताकि धीरे-धीरे सभी राज्य 2029 या 2034 के चक्र में आ जाएं। यानी विपक्षी राज्यों को भी अंततः इसी व्यवस्था में आना होगा।

जेपीसी रिपोर्ट और शीत सत्र का महत्व-एक देश, एक चुनाव पर गठित संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है और इसे संसद के शीत सत्र में पेश किया जाना है। यदि यह विधेयक दोनों सदनों से पारित हो जाता है तो 2034 में एक देश, एक चुनाव लागू होना संवैधानिक रूप से अनिवार्य हो जाएगा। लेकिन उससे पहले ही एनडीए शासित राज्यों में इसका प्रयोग शुरू कर परोक्ष रूप से 2029 से ही व्यवस्था को लागू कर दिया जाएगा।

यह केवल चुनाव सुधार नहीं, सत्ता की स्थायी रणनीति है। एक देश, एक चुनाव को केवल चुनाव सुधार के चश्मे से देखना भूल होगी। यह भाजपा की उस दीर्घकालीन रणनीति का हिस्सा है, जिसमें वह बार-बार चुनाव से होने वाले जातीय ध्रुवीकरण और मुफ्त की योजनाओं की होड़ को खत्म करना चाहती है। उसका तर्क है कि यदि एक बार में ही केंद्र और राज्य की सरकारें चुन ली जाएं तो सरकारें पांच साल तक बिना किसी चुनावी दबाव के विकास कर पाएंगी।

यदि मध्यप्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में 2029 में लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव होते हैं तो यह भारतीय लोकतंत्र का सबसे बड़ा प्रयोग होगा। यह प्रयोग सफल रहा तो 2034 तक भारत में हर पांच साल में केवल एक बार महाचुनाव होगा और बार-बार चुनाव का दौर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा।

(नईदुनिया संपादकीय डेस्क)

तारीख पर तारीख और कलियासोत किनारे कंक्रीट का कब्जा

एनजीटी के आदेश पर कुंभकर्णी नींद में नगर निगम और प्रशासन

राजधानी भोपाल को झीलों का शहर कहा जाता है, लेकिन अब यह शहर कंक्रीट के जंगल में बदल रहा है और इसका सबसे बड़ा शिकार बनी है कलियासोत नदी। कभी इस नदी को भोपाल का ग्रीन लंग्स कहा जाता था, लेकिन आज उसके दोनों किनारों पर रोज नए बंगले, नई बिल्डिंगें और नए फार्म हाउस बन रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि यह सब नगर निगम की अनुमति से हो रहा है, जबकि राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने कई बार अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए हैं। लेकिन आदेश कागजों में ही सिमटकर रह गए हैं और प्रशासन सिर्फ अगली तारीख देता जा रहा है। सवाल उठता है कि क्या नगर निगम और जिला प्रशासन जानबूझकर एनजीटी के आदेश की धज्जियां उड़ा रहे हैं या फिर यह कुंभकर्णी नींद जानबूझकर ली गई है?

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, सेंट्रल जोन बेंच, भोपाल ने स्पष्ट आदेश दिया था कि कलियासोत नदी के किनारे के 692 अतिक्रमण चिन्हित कर हटाए जाएं और वहां फेंसिंग, जियो टैगिंग तथा ग्रीन बेल्ट विकसित की जाए।

आदेश में कहा गया था कि सेंट्रल वर्ज, साइड वर्ज, पार्क, ग्रीन बेल्ट सहित हर हाल में अवैध कब्जे हटाए जाएं। साथ ही आदेश था कि जहां से कब्जे हटें, वहां वन विभाग खाली कराई गई जमीनों पर सघन पौधरोपण कराएगा। लेकिन हकीकत यह है कि सुनवाई के तहत चिन्हित 692 अतिक्रमणों में से कई अभी भी जस के तस बने हुए हैं, बल्कि नए अतिक्रमण भी बन रहे हैं। कई व्यावसायिक क्लबों को भी नहीं हटाया जा सका था, जिन्हें हटाने के लिए अपर कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति गठित कर हर तीन महीने में प्रोग्रेस रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिए गए थे।

यह आंकड़ा डराने वाला है। सुनवाई के दौरान पेश आंकड़ों के अनुसार, साल 1990 में भोपाल का ग्रीन कवर लगभग 66 प्रतिशत था, जो 2022 में घटकर मात्र 6 प्रतिशत रह गया। यह आंकड़ा इस बात का सबूत है कि शहर के तापमान में भी बेतहाशा वृद्धि दर्ज की गई है और 25 से ज्यादा शहरों में वायु गुणवत्ता का स्तर लगातार गिर रहा है। शहर के तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है और वायु गुणवत्ता का स्तर खराब हो रहा है। पैरामीटर वाइज स्टडी में यह बात सामने आई है कि ग्रीन बेल्ट पर हुए अतिक्रमण, कंक्रीटीकरण और पावर ब्लॉक्स हटाने के आदेश दिए गए हैं। आदेश के तहत सभी संबंधित संस्थान अपने परिसर के सामने की हरियाली और कंटीले तारों की बाड़ की मरम्मत और रखरखाव का पूरा खर्च खुद उठाएंगे। साथ ही ग्रीन बेल्ट का व्यावसायिक उपयोग या कंक्रीटीकरण नहीं होने देंगे। कब्जे हटाने के बाद नगर निगम और वन विभाग को इन स्थानों पर केवल देशी प्रजातियों के ऊंचे पौधों का रोपण कराना होगा, जिनमें बरगद, पीपल, नीम, जामुन, देशी आम, सेमल, कदंब और अर्जुन जैसी देशी प्रजातियों के ऊंचे पौधे लगाने होंगे।

एनजीटी ने भोपाल कलेक्टर और नगर निगम कमिश्नर को अतिक्रमण हटाने की पूरी कार्रवाई की रिपोर्ट अगले तीन महीने में बेंच के समक्ष जमा कराने को कहा है। याचिकाकर्ता की याचिका पर पूर्व में हुई सुनवाई के तहत चिन्हित 692 अतिक्रमणों में से कई अतिक्रमण हटा दिए गए थे, लेकिन शेष बचे आवासीय और व्यावसायिक क्लबों को नहीं हटाया जा सका था। इन्हें हटाने के लिए अपर कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति गठित कर हर तीन महीने में प्रोग्रेस रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही एनजीटी ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई का विस्तृत रिकॉर्ड तैयार करने के भी आदेश दिए हैं। भोपाल कलेक्टर और नगर निगम कमिश्नर को अतिक्रमण हटाने की पूरी कार्रवाई की रिपोर्ट अगले तीन महीने में बेंच के समक्ष जमा करानी होगी।

नगर निगम की अनुमति पर सवाल और मिलीभगत का शक-जब एनजीटी ने अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया है तो फिर नगर निगम उन्हीं क्षेत्रों में नए निर्माण की अनुमति कैसे दे रहा है? कलियासोत किनारे रोज नए नक्शे पास हो रहे हैं और बंगले बन रहे हैं। क्या यह एनजीटी के आदेश की सीधी अवमानना नहीं है? जानकारों का कहना है कि यह मिलीभगत के बिना संभव नहीं है। एक तरफ एनजीटी हरियाली बचाने के लिए पौधरोपण का आदेश दे रहा है, दूसरी तरफ नगर निगम कंक्रीट को बढ़ावा दे रहा है। यह दोहरी नीति भोपाल के पर्यावरण को खत्म कर देगी। नगर निगम और जिला प्रशासन की यह चुप्पी कई सवाल खड़े करती है। क्या प्रशासन को अदालत का डर नहीं रहा या फिर बिल्डर लॉबी इतनी मजबूत हो गई है कि वह किसी भी आदेश को खरीद सकती है?

भोपाल को स्मार्ट सिटी कहा जाता है, लेकिन स्मार्ट सिटी का मतलब केवल सड़क और बिल्डिंग नहीं होता, बल्कि सांस लेने लायक हवा और पानी भी होता है। कलियासोत नदी भोपाल के बड़े तालाब को पानी देती है और भूजल स्तर को बनाए रखती है। यदि इसके कैचमेंट एरिया में ही अतिक्रमण होता रहा तो आने वाले समय में भोपाल को पानी के लिए तरसना पड़ेगा।

एनजीटी ने वन विभाग को 15 वर्षों तक लगातार निगरानी की जिम्मेदारी दी है। इसके लिए समिति की मंजूरी अनिवार्य कर दी गई है। शहर में सघन पौधरोपण के तहत लगाए जाने वाले पौधों के जीवित रहने की 15 वर्षों तक लगातार निगरानी की जाएगी। इसके लिए पेड़ों की अनिवार्य जियो टैगिंग, मियावाकी पद्धति से सघन शहरी वनीकरण और 25 से अधिक पेड़ काटने की अनुमति के लिए पीसीसीएफ के अधीन उच्च स्तरीय केंद्रीय प्राधिकरण में वन विभाग, नगर निगम, शहरी विकास विभाग और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधियों से 100 गुना तक अनिवार्य क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण सुनिश्चित करने के आदेश जारी किए गए हैं। लेकिन इन आदेशों का पालन कौन कराएगा, जब निगरानी करने वाला ही सो रहा हो?

तारीख पर तारीख का यह खेल बंद होना चाहिए। एनजीटी को अब सख्त रुख अपनाते हुए नगर निगम कमिश्नर और जिला कलेक्टर पर व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय करनी चाहिए और अवमानना की कार्रवाई करनी चाहिए। साथ ही आम नागरिकों को भी आगे आना होगा। कलियासोत केवल प्रशासन की नहीं, बल्कि पूरे भोपाल की धरोहर है। यदि आज नहीं जागे तो कल सांस लेने के लिए भी तारीख लेनी पड़ेगी।

(नईदुनिया संपादकीय डेस्क)

साइबर सुरक्षा : क्लिक से पहले ठहरें, सोचें, पुष्टि करें...

आज बैंकिंग, यूपीआई, शॉपिंग, केवाईसी और संवाद सब डिजिटल हो गए हैं। सुविधा बढ़ी तो साइबर अपराध भी तेजी से बढ़े हैं। बैंक ऑफ इंडिया, भोपाल के प्रमुख अवेयरनेस एक्सपर्ट और सेंट्रल जोन के मैनेजर आशीष बंसल ने कहा कि अब तकनीकी हैकिंग के बजाय साइबर अपराधी डर, लालच और भरोसे का फायदा उठाते हैं। साइबर अपराधियों ने लोगों को ठगने के नए तरीके अपना लिए हैं। जागरूकता ही बचाव का सबसे बड़ा हथियार है। आज लगभग हर काम ऑनलाइन है। अपराधी लोगों की जल्दबाजी और भरोसे का फायदा उठाकर फेक केवाईसी, यूपीआई फ्रॉड, क्यूआर स्कैन, फिशिंग लिंक और डीपफेक जैसे तरीके अपना रहे हैं। एक क्लिक में पैसा गायब हो सकता है। इसलिए सतर्कता बहुत जरूरी है।

ओटीपी, यूपीआई पिन, एटीएम पिन, सीवीवी और पासवर्ड कभी शेयर न करें। पैसा प्राप्त करने के लिए यूपीआई पिन नहीं लगता। क्यूआर स्कैन करने से पहले लेनदेन की पुष्टि करें और हमेशा आधिकारिक वेबसाइट या एप का ही इस्तेमाल करें। गूगल से नंबर सर्च न करें। शाखा या आधिकारिक वेबसाइट और एप से कस्टमर केयर नंबर की पुष्टि कर उसे सेव करें। केवाईसी बंद होने या खाता फ्रीज होने जैसी कॉल आए तो तुरंत काट दें और खुद बैंक की शाखा या आधिकारिक नंबर पर संपर्क करें। ओटीपी और पिन किसी को न बताएं।

आरबीआई ने बैंकों को 31 अक्टूबर 2025 तक अपने डोमेन को डॉट बैंक डॉट इन में बदलने का निर्देश दिया था। इससे फर्जी वेबसाइट की पहचान आसान हुई है। वेबसाइट का यूआरएल ध्यान से देखें और असली डोमेन ही खोलें। एनीडेस्क और टीमव्यूअर जैसे एप के जरिए बैंक की जानकारी चोरी की जा सकती है। अज्ञात व्यक्ति के कहने पर ऐसे एप कभी इंस्टॉल न करें। अनजान लिंक पर क्लिक न करें और फोन को रिमोट से एक्सेस न करने दें। अज्ञात लिंक या एपीके में वायरस हो सकता है। इससे आपका डेटा चोरी और बैंक खाता खाली हो सकता है। केवल आधिकारिक स्टोर से ही एप डाउनलोड करें।

ठग पुलिस, सीबीआई और ईडी बनकर धमकाते हैं। डरकर पैसा ट्रांसफर न करें। पहचान की स्वतंत्र पुष्टि करें और तुरंत 1930 पर कॉल करें। ठगी होने पर सबसे पहले तुरंत 1930 पर कॉल करें। इसके साथ ही साइबर क्राइम पोर्टल पर रिपोर्ट करें, बैंक को सूचित करें और सबूत संभालकर रखें। बैंकिंग संबंधी शिकायत में पहले बैंक में शिकायत करें। समाधान न हो तो आरबीआई के 14448 नंबर पर शिकायत करें।

परिवार और जेन-जी की भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है। परिवार व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर नियमित बात करें। कोई संदिग्ध कॉल आए तो जरूर पूछें। युवाओं को चाहिए कि वे अपने माता-पिता और बुजुर्गों को साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूक करें। अपील है कि आप पांच लोगों को साइबर सुरक्षा के बारे में जरूर बताएं। साइबर सुरक्षा केवल बैंक की जिम्मेदारी नहीं है, यह हर नागरिक की जिम्मेदारी है। तकनीक का उपयोग सावधानी से करें। किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक करने से पहले सोचें और किसी भी दबाव में आकर पैसा ट्रांसफर न करें। यदि सभी लोग थोड़ी-सी सतर्कता बरतें तो साइबर ठगी के मामलों में बड़ी कमी आ सकती है और हमारा पैसा और डेटा सुरक्षित रह सकता है।

(नईदुनिया संपादकीय डेस्क)